स्वयं सहायता समूह

गठन प्रक्रिया और संचालन

स्वयं सहायता समूह गठन का उददेश्य

1. समुदाय में बाल अधिकार के मुददे पर जागरूकता और अभ्यास के प्रति समुदाय विशेषकर महिलाओं में साझी समझ व साझी अभिव्यक्ति के साथ साझी पहल को बढ़ावा देना।
2. बाल अधिकारों तक समुदाय और बच्चो की पहुच में गैप की जानकारी करना और समुदाय की साझी पहल के लिये साकारात्मक सोच विकसित करना।
3. स्वास्थ्य व पोषण के मुददे पर साकारात्मक विकास के लिये समुदाय की साझी पहल कराना।
4. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं और उसकी प्रक्रिया की जानकारी देना और समुदायिक पहल के माध्यम से उसके प्राप्ति के लिये मार्गदर्शन करना।
5. सामाजिक रूढ़ियो और अंधविश्वासो पर समुदाय की तार्किक सोच विकसित करना।
6. महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करना।
7. आजीविका के वैकल्पिक संसाधनो तक महिलाओ की पहुच बढ़ाना।

स्वयं सहायता समूह

जब किसी निश्चित उददेश्य के पूर्ति के लिये एक से अधिक लोग मिलकर प्रयास करते है जो उस प्रक्रिया को सामूहिक प्रक्रिया कहते है और उस संगठन को समूह कहते है।

जब स्वयं के सहायता के उददेश्य के लिये समूह का गठन किया जाता है तो उसे स्वयं सहायता समूह कहते है।

समूह का गठन

स्वयं सहायता समूह केवल महिलाओं का एक समूह होगा जिसमें केवल उस गांव के स्थायी निवासी सदस्य होगे और उनकी आयु 18 साल से 50 साल तक की होगी। उस गांव की शादीशुदा महिलाये ही सदस्य होगी जो स्थायी रूप से उस गांव/पुरवा में निवास करती हो। इस समूह में जाति पात का भेदभाव करने वाला कोई सदस्य नही होगा। लेकिन सम स्तर और सम विचार का मानक अनिवार्य रूप से होगा। संस्था का कोई भी कार्यकर्ता समूह का सदस्य नही होगा। प्रत्येक गांव स्तर पर एक समूह का गठन किया जायेगा। समुदाय के मांग के आधार पर एक गांव में एक से अधिक समूह का भी गठन कर सकते है।

समूह की सदस्य सीमा

एक स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 व अधिकतम 20 सदस्य हो सकते है। 20 से अधिक सदस्य के इच्छुक होने पर एक नया समूह का गठन

किया जा सकता है। वैसे एक औषत 10 से 15 लोगो का एक समूह बेहतर होगा।

समूह का नामकरण

समूह का नामकरण इस प्रकार से सर्वसम्मति से किया जायेगा कि समूह का उददेश्य स्पष्ट होता हो न कि जाति पाति। जाति पाति और किसी धर्म विशेष के नाम पर समूह का नामकरण करने से बचने की सलाह दी जाती है ताकि समूह के द्वारा किसी की सामाजिक स्थिति का पता न चले। बल्कि समूह के नाम से समूह के उददेश्य का पता चले। यहा पर कुछ नाम सुझाये जा रहे है–

1. विकास स्वयं सहायता समूह
2. उन्नति.....
3. प्रयास.....
4. उजाला.....
5. भारत.....
6. सहारा.....
7. मदद.....
8. रोजी.....
9. सपना.....
10. अमर.....
11. रोजगार.....
12. सहेली.....
13. समता .....
14. जुझारू.....
15. जै हिन्द.....
16. जै भारत.....
17. नमस्ते .....
18. बलवान .....
19. रोजा.....
20. अधिकार.....
21. अपना.....
22. प्रवासी.....
23. कर्मवीर.....
24. मातृभूमि.....
25. वन्दे भारत.....
26. वन्दे मातरम.....
27. जीवन.....
28. वनवासी.....
29. माटी.....
30. फसल.....

समूह की नियमावली

समूह उन सदस्यो का है तो इस समूह के सदस्य है। इसे संचालित करने के लिये लिये समूह के सदस्य सर्व सम्मति से निर्णय पास कर समूह का संचालन कर सकते है इसके लिये संस्था, सरकार का कोई बंधन नही है। समूह अपनी सुविधा और जरूरतों के आधार पर नियमावली में बदलाव कर सकते है। यह ध्यान रखना होगा कि समूह अपने सदस्यो के अलावा किसी और को ब्याज कमाने के लिये रकम नही देगा और न ही कोई गैर कानूनी काम के लिये किसी का मदद करेगा।

समूह की मासिक बैठक

हर माह की निर्धारित तिथि को समूह की बैठक की अपेक्षा की जाती है लेकिन जरूरत पड़ने पर समूह की माह मे कई बैठके हो सकती है। लेकिन कम से कम माह में एक बैठक होना आवश्यक है। समूह की हर बैठक की कार्यवाही समूह के रजिस्टर में लिखा जायेगा। रजिस्टर लिखने की जिम्मेदारी समूह के सचिव की होगी। समूह के सचिव अगर साक्षर नही है तो वे अपने परिवार के किसी सदस्य या गांव के किसी से लिखवा सकता है। प्रारम्भिक दौर में एक साल के दौरान कार्यकर्ता इसमें सहयोग कर सकता है।

समूह के लीडर के साथ प्रधान कार्यालय यह प्रयास करेगा कि फोन आदि के माध्यम से समूह के लीडर के साथ तीन माह पर प्रगति का फालोअप किया जाये।

समूह की मासिक बचत

समूह मासिक आधार पर बचत करेगा। मासिक बचत की निर्धारण समूह के द्वारा ही किया जायेगा लेकिन यहां पर बताना है कि यह बचत एक तरीके से प्रतीकात्मक होगा। जैसे कम से कम ३० रूपये महीना हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है लेकिन जो सदस्य समूह मे जुड़े है उनकी क्षमताओं के आधार पर ही मासिक बचत का निर्धारत किया जा सकेगा। समूह की मासिक बैठकों में ही समूह के मासिक बचत व अन्य धनराशि की लेन देन की जा सकेगी। समूह के बैठक के अलावा किसी प्रकार की लेन देन नही की जायेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोई कार्यकर्ता बचत के रकम को हाथ नही लगा सकेगा। समूह के कोषाध्यक्ष या समूह के लोगो द्वारा ही रखरखाव किया जायेगा। समूह की बचत को समूह के लेन देन रजिस्टर पर लिखा जायेगा। बचत को समूह में सीधे तौर पर यदि किसी सदस्य को जरूरत है तो लोन दिया जा सकता है नही तो समूह के खाते में जमा किया जायेगा। जिस सदस्य को लोन दिया गया है उसे लोन रजिस्टर पर लिखा जायेगा।

समूह के बचत धनराशि का रखरखाव

मासिक बचत की धनराशि केवल समूह के द्वारा निर्धारति सदस्य ही रखरखाव कर सकता है। संस्था के कार्यकर्ता द्वारा किसी भी परिस्थिति में समूह के किसी भी प्रकार के धनराशि को छूवा नही जायेगा न ही अपने पास रखा जायेगा न ही समूह के अलावा किसी को रखने के लिये कहा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में कार्यकर्ता समूह के धनराशि का रखरखाव नही किया जायेगा। समूह के धनराशि को समूह के खाते में रखा जायेगा और उसे इस प्रकार से

नियोजित किया जायेगा कि किसी भी सदस्थ्य के पास नगद धनराशि न रहें। यह बेहतर होगा कि जो भी लेनदेन हो वह समूह के बचत खाते के माध्यम से हो।

समूह का आन्तरिक लोन का लेन देन

समूह अपने सदस्यो को अपने बचत धनराशि से सदस्यो के मांग/प्रस्ताव पर लोन के रूप में लेन देन कर सकेगा। जिसके लिये समूह के सदस्यो सर्वमान्य होना अनिवार्य होगा। सर्व सम्मति से निर्णण के आधार पर ही समूह के केवल सदस्यो को ही लोन को दिया जा सकेगा। जिसके लिये सदस्य प्रति सैंकड़ा एक रूपया मासिक के व्याज पर दे सकेगा। निर्धारित मूलधन व व्याज की वापसी आदि की समय सीमा पूर्व में निर्धारित करनी होगी और वापसी के लिये निर्धारित समय का भी ध्यान भी रखा जायेगा ताकि लोन की वापसी समय पर हो सके। ये सुझाव दिया जाता है कि समूह अपने बचत का धनराशि का अधिकांश भाग लोन के रूप मे उपयोग करे। अन्त मे यह कहना है कि समूह यह तय करेगा कि किसे लोन देना है और किसे नही देना है। इस पर संस्था के कार्यकर्ता का नियंत्रण नही होगा। जो भी लेन देन है उसे उसी समय समूह के लेन देन रजिस्टर पर लिख दिया जाये।

समूह से लोन लेने की पात्रता

समूह के सदस्य का अधिकार है कि समूह से वे लोन ले। फिर भी समूह से लोन लेने के लिये कुछ मानक इस प्रकार से है–

1. सदस्य नियमित रूप से मासिक बचत किया हो।
2. सदस्य का समूह से लिया गया पूर्व का कोई लोन बकाया न हो।
3. लोन के प्रस्ताव पर समूह द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया हो।
4. वह समूह का सदस्य हो और वह उसी गांव का रहने वाला हो जिस गांव का समूह है।
5. लोन के वापसी का पूरा व्योरा प्रस्तुत किया गया हो और सदस्यगण उस पर सहमत हो।
6. जो सदस्य लोन ले रहा है वह नसेड़ी, जुआड़ी या इस प्रकार से व्यसन में लिप्त न हो जहां पर समूह के रकम वापसी का रिस्क हो।
7. उपरोक्त के साथ ही कहना है कि समूह का निर्णय अंतिम होता है क्याकि समूह उसमें जुड़े हुये लोगो का ही है।

समूह का व्याज दर

समूह का बचत पर व्याज दर 12 प्रतिशत सालाना का होगा। फिर भी समूह स्वतंत्र होगा कि वह लोन की व्याज दर को घटा व बढ़ा सकता है। जिसके लिये समूह की सर्व सम्मति जरूरी होगी। समूह अपने बचत पर व्याज कमाने के लिये किसी बाहरी व्यक्ति को लोन नही देगा। इस प्रकार का भी कार्य नही करेगा कि समूह परम्परागत साहूकार हो जाये।

समूह के पदाधिकारी की पात्रता

समूह के सुगम संचालन के लिये कुल तीन पदाधिकारी का चुनाव समूह के सभी सदस्यों की सर्व सहमति से किया जायेगा। पदाधिकारियों में अध्यक्ष,

सचिव व कोषाध्यक्ष के रूप में पदाधिकारी होगें। पदाधिकारी चुनने के मानक निम्नलिखित होगें–

1. जो इमानदार हो और जनहित के विकास के लिये सोच रखता हो।
2. सर्वमान्य व्यक्तित्व का धनी हो।
3. भेदभाव रहित हो।
4. स्वार्थी न हो।
5. जनहित को सर्वोपरि रखता हो।
6. वाक कुशल हो और बातो को प्रस्तुत करने की कला हो।
7. जिसके पास जनहित में समय देने का मौका हो।
8. बैंक आदि जाने और आने की क्षमता हो और उसकी इस तरह के जनहित मे कार्य की रूचि हो।
9. जो अपने को स्वेच्छा से जनहित के लिये सहमति प्रदान करे।
10. जो साक्षर हो।
11. जो मासिक बैठके अपने से करने में सक्षम हो।

समूह का बचत खाता व धनराशि का रखरखाव

समूह का राष्ट्रीय बैंको में एक बजत खाता होगा जिसका संचालन समूह के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा। इनमें से किसी दो के हस्ताक्षर से समूह की धनराशि निकाली जा सकती है। प्रत्येक माह की बचत धनराशि समूह के लोगों के द्वारा सीधे बैक के खाते मे रकम जमा की जायेगी और रकम की निकासी समूह के द्वारा प्रस्ताव लेकर की जा सकेगी। इस प्रकार समूह की किसी भी धनराशि की लेन देन बैंक के बचत खाते के माध्यम से ही हो सकेगी। समूह के बाहर के किसी व्यक्ति का इस प्रक्रिया में भागीदारी नही करायी जायेगी। प्रयास यह किया जाये कि समूह के जो सदस्य अपना नाम लिख पढ़ लेते हो वे समूह में लीडर बने। ताकि बैंक से चेकबुक जारी कराया जा सके। साक्षर लोग न मिलने में जो बेहतर विकल्प हो उसे चुना जाये।

समूह का मुहर

समूह के नाम का एक मुहर होगा। उदाहरण के लिये अगर सहारा स्वयं सहायता समूह नेवाजगंज हो तो उसका मुहर इस प्रकार से होगा–

सहारा स्वयं सहायता समूह, नेवाजगंज

.....

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

मुहर तीन लाइन में होगा और बीच वाली लाइन सादा रहेगा ताकि उस लाइन पर पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर सके। समूह का मुहर समूह के सचिव के पास रहेगा। समूह की सहमति के आधार पर ही कागजात पर सचिव अपने हाथ से मुहर लगायेगें।

समूह का रिकार्ड रखरखाव

समूह का 2 रजिस्टर होगा जिसमें से एक कार्यवाही रजिस्टर होगा और दूसरा रकम लेन देन का रजिस्टर होगा और एक फाइल होगी। समूह अपने बचत या चंदा लगाकर रजिस्टर स्वयं से खरीदेगा। रजिस्टर समूह के सचिव के पास रखा जायेगा और किसी भी व्यक्ति के ले जाने या देखने की मनाही होगी। केवल समूह के अध्यक्ष के सहमति से ही बाहरी व्यक्ति देख सकता है। फिर भी समूह के सचिव के अलावा कोई भी व्यक्ति समूह समूह का रजिस्टर लेने का अधिकार नही होगा। समूह की सम्पत्ति समूह के पदाधिकारी के पास ही होनी चाहियें। समूह के द्वारा किये गये सामाजिक कार्य जैसे आवेदन, शिकायतपत्र, प्राप्त पत्र आदि को फाइल में लगाकर रखा जायेगा। सभी प्रकार के रिकार्ड का रखरखाव समूह के सचिव के द्वारा किया जायेगा। समूह में शिक्षित नही होने पर भी समूह के सचिव की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी शिक्षित व्यक्ति से अपने समूह का रिकार्ड रख रखाव कराये। समूह के गांव में किये गये संस्थागत कार्यो को भी समूह के रिकार्ड में लिखा जा सकता है।

अक्सर देखने में आता है कि अति वचित समुदाय में समूह के लोगो में साक्षरता की कमी होती है। इसलिये यह सुझाव दिया जा रहा है कि जिस समूह के सचिव में साक्षरता की कमी हो वहा पर उस गांव से एक शिक्षित बालिका को समूह के सचित के सहयोगी बनाया जाये ताकि समूह के बैठक की कार्यवाही, बचत, लेनदेन आदि का रखरखाव बालिका कर सके। जिस समूह को कोई शिक्षित बालिका न हो वहा पर कोई बालक को ये जिम्मेदारी दिया जा सकेगा। फिर भी वह बालिका या बालक उस समूह का सदस्य नही माना जायेगा। वह मात्र सहयोगी के रूप में कार्य करेगें। इससे उनकी बुद्धि विवेक और ज्ञान कौशल का विकास होगा और यही उनका लाभ होगा।

समूह मे बीच में जुड़ने की नीति

वैसे तो बेहतर है कि अगर समूह 10 सदस्यो से अधिक का है तो बीच मे किसी सदस्य को न जोड़ा जाये। फिर भी समूह साझी निर्णय से किसी नये लोगो को भी बीच में सदस्य के रूप में जोड़ सकती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में समूह में नये लीडर को जोड़ना उचित नही होगा। लीडर तो पुराना ही होना चाहिये और पुराने सदस्यो से ही लीडर के रिक्त पद को भरा जा सकेगा। अगर कोई नया सदस्य जुड़ता है तो उसे समूह का लाभ तत्कालिक नही दिया जा सकेगा। कम से कम 6 माह की अवधि के बाद ही समूह के लाभ का पात्र हो सकता है।

समूह से बाहर होने की नीति

कोई भी सदस्य या लीडर अपनी स्वेच्छा से समूह के बाहर हो सकता है। या समूह की किसी सदस्य या लीडर को साझी निर्णय से बाहर कर सकता है। ऐसी स्थिति में समूह में उस सदस्य का लेन देन का पूरा हिसाब किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में समूह को जल्दीबाजी न कर धैर्य का परिचय देते हुये ससम्मान हिसाब किताब करना चाहिये।

समूह की समुदाय आधारित आजीविका विकास

समूह अपने सदस्यो के आर्थिक विकास के लिये पहल करेगा। आजीविका के विकास में यह ध्यान रखा जायेगा कि समूह के सदस्यों की वार्षिक आय में वृद्धि हो सके। जैसे किसी परिवार की साल की कमाई 50 हजार है तो उसके आजीविका कार्य से साल में 5 हजार की आय होती है तो उसकी साल की आय 55 हजार हो गई। इस प्रकार से हम देखेगें तो पायेगें कि सदस्य के परिवार की आमदनी में समूह के माध्यम से 5 हजार की वृद्धि हुआ है। यह वृद्धि वस्तु के रूप में और रकम के रूप में भी हो सकती है।

यहां पर यह भी कहना है कि समूह का कार्य केवल रकम देना और व्याज के साथ वापसी करना नही है बल्कि यह भी देखरेख करना होगा कि आजीविका का कार्य सही दिशा में चल रहा हो।

सरकारी विभागों के साथ जुड़ाव

समूह, समूह के सदस्यो का है इसलिये समूह संस्था के उपर निर्भर न रहकर स्वयं से पहल करते हुये अपने सदस्यो के विकास के लिये सरकारी विभागों के साथ सीधा जुड़ाव रखेगा जैसे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आजीविका मिशन, विकास विभाग, नाबार्ड, लीड बैंक व अन्य विकास की योजनाओ से सम्बंधित विभागो के साथ समूह के लीडर जाकर या सीधे फोन के माध्यम से अधिकारीगण से बात कर अपने समूह के सदस्यो को विकास के योजनाओ से जोड़ेगें और फालोअप करेगें। प्रारम्भिक समय में संस्था के कार्यकतागण समूह के लीडर को मार्गदर्शन करेगें और उसके बाद समूह स्वयं से पहल करते हुये विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ायेगें।

सदस्यो की भूमिका

समूह बिना सदस्यो के सक्रिय भागीदारी के सफल नही हो सकता है इसलिये समूह की निम्नलिखित भूमिका अनिवार्य है–

1. मासिक बैठको में भागीदारी
2. निर्णय की प्रक्रिया मे सक्रिय भागीदारी।
3. समूह के विकास की बैठको मे सवाल उठाना।
4. बचत में भागीदारी
5. आजीविका के दिशा में भागीदारी।
6. सामाजिक विकास/साझी प्रयासो में भागीदारी।

आजीविका मिशन से जुड़ाव

समूह के हित में यह बेहतर होगा कि जो समूह बन रहे है उन्हे आजीविका मिशन के साथ जोड़ा जाये ताकि समूह के पास पूजी भी हो और समूह का सामाजिक व आर्थिक विकास का नेटवर्क व्यापक स्तर पर जिला से जुड़े। इसके लिये संस्था के कार्यकर्ता के साथ समूह के लीडर एक बार पूरे प्रक्रिया को

समझ कर सदस्यो को समझाये और साझी निर्णण के आधार पर आजीविका मिशन के साथ जुडे।

सामाजिक/साझी पहल

समूह का प्रथम उददेश्य साझी पहल से सामाजिक विकास का होना चाहिये। क्योकि आर्थिक विकास तो अकेले भी हो सकता है लेकिन सामाजिक विकास तो साझी पहल के साथ ही हो सकता है। इसलिये बच्चो, महिलाओं, गरीबों, अनाथो और आपदा के समय में समूह की जिम्मेदारी बनती है कि वे बढ़ चढ़ कर सामाजिक विकास के कार्यो में साझी पहल करें। खासकर सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियो और कुप्रथाओ के प्रति सामाजिक चिन्तन पैदा करने और रोकने के प्रति सकिय हो। इसके लिये समूह को स्वयं के स्तर से उपरोक्त बिन्दुओ पर पहल करना होगा तभी दूसरे लोग अपना सकेगें।

बच्चे के मुददें पर कार्य

समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि वे अपने गांव मे बच्चो के अधिकार की दिशा में सार्थक पहल कर रहे हो। क्योकि संस्था का इस मुददे पर होने के नाते समूह की भागीदारी भी अपेक्षित है। खासतौर पर 0 से 5 साथ के बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की दिशा में। यहा पर यह स्पष्ट करना है कि गर्भकाल से लेकर 18 साल की आयु प्राप्त करने तक बच्चे के विकास की लिये विभिन्न अधिकारो जैसे जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार के प्रति समूह सजग रहे और अपने गांव के बच्चो को उनके अधिकारों की दिशा मे पहुच बनाने तक उनकी मदद करती रहे और यह सुनिश्चित करे कि किसी बच्चे की विकास अवरूद्ध न हो।

साझी निर्णण

समूह किसी एक का नही होता है इसलिये कोई भी निर्णय लेने से पहले समूह की बैठक में प्रस्ताव रखा जाये और फिर साझाी सहमति के साथ निर्णण होना चाहिये। कोई की लीडर या सदस्य स्वयं के स्तर से निर्णण नही ले सकता है। बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।

समूह का कार्यकाल

समूह का कार्यकाल जीवन पर्यन्त का है। संस्था का कार्य रहे या न रहे लेकिन समूह को समूह के सदस्य जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी के अवधारणा पर चला सकते है। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी समूह चल सकता है। यह सदस्य और उस गांव के हित मे होगा कि समूह को कार्य चलता रहे और सामाजिक कार्य के माध्यम से जनहित के कार्य होता रहे। समूह जितना पुराना उतना ही अच्छा। क्योकि सदस्यो में अनुभव भी उतना ही बेहतर होगा।

समूह का आडिट

संस्था द्वारा गठित समूहो वार्षिक आधार पर आडिट किया जायेग जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओ पर फोकस किया जायेग–

1. समूह के सदस्यो में संगठन के प्रति समझ
2. समूह में साझी निर्णय की प्रगति
3. समूह के साझी प्रयास
4. समूह का आजीविका विकास
5. समूह के द्वारा सामाजिक कुरितियों के विरूद्व उठाये गये कदम
6. समूह का रिकार्ड रखरखाव
7. समूह में संस्था के कार्यकर्ता की भूमिका
8. समूह का लीडरशीप विकास।

समूह का विघटन

समूह का विघटन नही होना चाहिये क्योकि समूह के विघटन से गांव का नुकसान होगा और कोई भी सदस्य गांव कें नुकसान का पाप नही लेना चाहेगा। फिर भी अगर समूह में कोई ऐसी बाधा है जिसके कारण से समूह चलाना मुश्किल हो गया हो तो संस्था के प्रधान कार्यालय से सम्पर्क करें और संस्था पूरी जांच पड़ताल के बाद समूह को एक रिर्पोट करेगी। रिर्पोट के आधार पर समूह में साझी निर्णण के बाद ही समूह का विघटन किया जा सकेगा।

समस्याओ का समाधान

समूह में उभरे किसी समस्या के समाधान के लिये बेहतर विकल्प है कि समूह अपने स्तर पर बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान कर ले। फिर भी अगर समाधान नही हो पाता है तो संस्था समस्या के समाधान के लिये तत्पर रहेगी। प्राथमिक स्तर पर परियोजना के कार्यकर्ता से सम्पर्क किया जा सकेगा। अगर कार्यकर्ता के द्वारा समस्या का समाधान नही हो पाता है तो समूह प्रधान कार्यालय से सम्पर्क कर सकता है। प्रधान कार्यालय समस्या के समाधान के लिये तत्पर रहेगा। समूह फोन के माध्यम से संस्था सम्पर्क कर सकता है। इसके लिये समूह के रजिस्टर पर प्रधान कार्यालय के सम्पर्क नम्बर दर्शाया जायेगा।

रोजा के अलावा अन्य संस्थाओं के प्रति नीति

समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि समूह के बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति में समूह प्रवर्तक संस्था से सम्पर्क कर स्थिति परिस्थिति को स्पष्ट करे और अपने विचार रखे। आपसी सहमति और समूह के सर्वोत्तम हित में संस्था और समूह का निर्णय मान्य होगा। लेकिन यह कार्य प्रधान कार्यालय स्तर से ही किया जा सकेगा।

समूह में कार्यकर्ता की भूमिका

समूह में कार्यकर्ता की भूमिका एक सहजकर्ता की होगी और प्रशिक्षक की होगी। कार्यकर्ता समूह का संचालन नही करेगा। समूह का संचालन सिर्फ समूह का लीडर ही करेगा। कार्यकर्ता बाहर से बैठक समूह के संचालन को देखेगा और उन्हे समूह के हित में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। समूह की बैठको कार्यकर्ता

तभी सीधे तौर पर पहल करेगा जब परियोजना के किसी मुददे पर चर्चा परिचर्चा करना हो और समूह के सदस्यो को जानकारी या प्रशिक्षण देना हो। लेकिन समूह की स्वतः स्फूर्ति के किसी भी धारा प्रवाह में बाधक नही बनेगा। समूह के मांग पर भी सीधे तौर पर समूह का लीडरशीप नही करना है। आत्मनिर्भर बनो होशियार बनो के तर्ज पर कार्यकर्ता को पहल करनी होगी। संस्था का कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में समूह से कोई लाभ नही ले सकेगा। किसी भी प्रकार के लाभ लेने की जानकारी पर संस्था कार्यकर्ता से 2 गुना वसूल कर समूह को वापस करेगी।

दलाल, बिचौलियो, मौका परस्त और ठग से बचाव

समूह को सलाह दिया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति समूह के सम्पर्क में आये और समूह के किसी प्रकार के दस्तावेज देखने या लाभ देने आदि का लालच देता हो तो समूह का कोई भी सदस्य सीधे संस्था के प्रधान कार्यालय से फोन कर जानकारी को साझा करे और सुझाव ले ले। यदि कोई यह भी कहे कि वह संस्था का कार्यकर्ता है तो भी एक बार प्रधान कार्यालय से सम्पर्क करे और सुझाव ले ले। कभी भी किसी लालच में पड़कर किसी भी प्रकार को लेन देन किसी बाहरी व्यक्ति से न करे और न ही कोई बैंक सम्बंधी जानकारी दे। बेहतर यही होगा कि संस्था से सम्पर्क कर ले।

कोई कार्यकर्ता यदि संस्था के कार्य छोड़कर भी पंचायत चुनाव या किसी प्रकार का चुनाव लड़ता है तो उसे वोट न करे।

समूह के निर्णयो पर संस्था का सम्बंध

समूह गांव के लोगो का है और यह सलाह दिया जाता है कि समूह अपने वुद्धि विवेक से अपने, अपने गांव, स्थानीय समाज और देश के हित में निर्णय लें। उनके निर्णय पर संस्था को कोई दबाव नही होगा और न ही समूह के द्वारा लिये गये निर्णय से संस्था को कोई वास्ता होगा। जनहित में लिये गये निर्णय का संस्था स्वागत करेगी और किसी भी गैर कानूनी निर्णय और गतिविधि पर संस्था का न ही कोई समर्थन होगा और न ही कोई भागीदारी। संस्था मात्र जनहित के उत्थान के लिये किये गये प्रयासों को समर्थन करता है।

संस्था का पता और सम्पर्क

रोजा संस्थान, ककरमत्ता नियर आदर्श बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/रोजा कालोनी, पोस्ट– डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी–221004

सम्पर्क संख्या– 9450156972

संस्था से लाभ

संस्था अपनी मानव संसाधनो से समूह के गठन और संचालन और उन्हे प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि में उपलब्ध संसाधनो से जोड़ने का प्रयास करेगी। संस्था सीधे तौर पर कोई लाभ नही देगी। समूह संस्था से कोई कैस या

सामान के रूप में अपेक्षा न करे। स्वयं की सहायता के लिये स्वयं से पहल की अवधारण पर चले।

कार्यकर्ता क्या न करे

1. समूह को कोई लालच न दे।
2. कोई झूठा वादा न करे।
3. विकास से सम्बंधित किसी बात को न छुपाये
4. समूह से व्यक्तिगत कोई लेन देन न करे।
5. समूह को परजीवी न बनाये
6. समूह को तोड़ने न दें
7. कोई गलत संदेश/जानकारी न दें।
8. किसी प्रकार की राजनीतिक बात न करे
9. चुनाव मे किसी प्रत्याक्षी या पार्टी के लिये समर्थन की बात न करे।
10. समूह के किसी के खिलाफ न भड़काये।
11. सामाजिक बुराइयो का समर्थन न करे और न ही किसी प्रकार से उसमे भागीदारी करे।

गांव में संस्था के कार्य की नीति

संस्था का गांवों में कार्य समूह के माध्यम से किया जायेगा। समूह अपने सदस्यो के साथ कार्य करेगा। ग्राम स्तरीय पर कोई भी पहल संस्था सीधे तौर पर नही करेगी। संस्था अपनी गतिविधि को समूह के माध्यम से संचालित करेगी। संस्था का प्रयास होगा कि ग्राम स्तरीय समस्या को चिन्हाकन समूह के माध्यम से किया जाये और उसकी समाधान कैसे होगा यह समूह में चर्चा किया जाये। समूह की सहमति के आधार पर समाधान की प्रक्रिया में समूह का सहयोग किया जायेगा। हर स्तर पर यह प्रयास किया जायेगा कि जिसकी समस्या हो उसी की अगुवाई/नेतृत्व भी हो। संस्था मात्र विधि विधान समझाने और सीखाने का कार्य करेगी।

भवदीय,

मुश्ताक अहमद

मुख्य कार्यकारी

रोजा संस्थान।

27 अगस्त 2020